संख्या-31/2024/1829/77-6-24-5(एम)/13टीसी(मेगा-1)

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पिकप।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2024**

विषयः अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओं को दिये जाने वाली सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 11.03.2024 एवं दिनांक 24.06.2024 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों के अनुसार निम्नांकित इकाईयों को मेगा परियोजना अंतर्गत अनुमन्य विशेष वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार निम्नांकित इकाईयों को निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें अनुमन्य कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) मे0 वरूण बेवरेजेज लि0, सण्डीला, हरदोई

मेसर्स वरूण बेवरेजेस लिमिटेड द्वारा सण्डीला, हरदोई (मध्यांचल) में पेप्सी ब्राण्ड के शीतल पेय, पैकेज्ड पेयजल, पेट पैकेजिंग के उत्पादन हेतु इकाई की परियोजना के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 की मेगा परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 02.02.2017 को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया था। इकाई को 03.05.2017 से 31.12.2021 की अवधि तक विभिन्न अनुमन्य सुविधाओं हेतु राशि रू0 238,33,69,891.00 का अनुमोदन/वितरण करने के पश्चात अब वर्तमान प्रस्ताव एवं भविष्य में कम्पनी के प्रस्तावों हेतु स्वीकृत सुविधाओं की शेष राशि/अवधि निम्नवत है:-

क्र0सं0	विवरण	स्वीकृत सुविधाओं की कुल राशि (रू0)
1.	15 वर्षों हेतु इकाई को देय/स्वीकृत सुविधाओं की अर्हता (300 प्रतिशत स्थायी पूंजी निवेश के बराबर) (374,20,87,563.00 X 3)	1122,62,62,689.00
2.	सुविधाओं हेतु अनुमन्यता तिथि	3.5.2017

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.	सुविधाओं हेतु पात्र अवधि		15 वर्ष (3.5.2017 से 2.5.2032)
4.	03.05.2017 से 31.12.2021 की अवधि तक वित्तीय सुविधाओं का अनुमोदन/वितरण (छूट के रूप में प्राप्त सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए)		238,33,69,891.00'
5.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि (1-4)		884,28,92,798.00
6.	वितरण हेतु वर्तमान प्रस्ताव (छूट के रूप में प्राप्त सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए)		102,04,22,343.00
	- नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति - 01.01.2022 से 30.06.2023	96,50,48,345.00	
	-पूॅजीगत ब्याज उपादान- 01.04.2021 से 02.05.2022	2,16,05,158.00	
	- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट - 01.04.2021 से 31.03.2023	3,37,68,840.00	
7.	प्रस्तावित सुविधाओं के वितरण के पश्चात स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि(5-6)		782,24,70,455.00
8.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष अवधि		8 वर्ष 10 माह
9.	स्वीकृत सुविधाओं के अन्तर्गत पूंजी ब्याज उपादान के वितरण हेतु शेष अवधि		शून्य

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि हेतु कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि रू0 1,99,06,712.00 होल्ड की गयी है।

प्रस्तावः कम्पनी का 1.1.2022 से 30.6.2023 की अवधि के लिए सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम निम्नवत है-

(राशि रू0 में)

क्र0सं0	**सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (1.04.2023 से 30.06.2023)**
1.	नेट एस.जी0एस0टी0 की प्रतिपूिर्ति	27,41,48,779	67,13,83,494	21,85,83,192
2.	पूॅजीगत ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति	2,00,00,000	16,05,158	0
3.	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट	1,32,74,955	2,04,93,885	0
4.	**कुल (1+2+3)**	**30,74,23,734**	**69,34,82,537**	**21,85,83,192**
5.	उत्पादित माल पर जमा की	34,26,85,974@	83,92,29,367@	27,32,28,990@

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	गयी सत्यापित कुल नेट एस.जी.एस.टी.की राषि			
6.	वितरण योग्य अर्ह राशि	**30,74,23,734**	**69,34,82,537**	**21,85,83,192**
7.	**घटाया- इकाई को पूर्व में वितरित सुविधा की राशि**			
	- नेट एस.जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति 1.4.2021 से 31.12.2021	19,90,67,120	-	-
		10,83,56,614	**69,34,82,537**	**21,85,83,192**
	घटाया- इकाई को छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि			
	- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	1,32,74,955	2,04,93,885	-
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि**	**9,50,81,659**	**67,29,88,652**	**21,85,83,192**
9.	**वितरण हेतु कुल राशि(1.1.2022 से 30.6.2023)**			**98,66,53,503***

@ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013 टी.सी. (मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

(2) <u>मेसर्स श्री सीमेंट लि0, बुलन्दशहर (पश्चिमांचल)</u>

मेसर्स श्री सीमेंट लि0 को बुलन्दशहर में सीमेंट उत्पादन इकाई की परियोजना के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 की मेगा परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 09.07.2015 (दिनांक 20.05.2016 द्वारा संशोधित) को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया था। इकाई को 01.04.2016 से 31.12.2021 की अवधि तक विभिन्न सुविधाओं हेतु कुल राशि रू0 476,82,58,605.00 का अनुमोदन/वितरण करने के पश्चात अब वर्तमान प्रस्ताव एवं भविष्य में कम्पनी के प्रस्तावों हेतु स्वीकृत सुविधाओं की शेष राशि/अवधि निम्नवत है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	विवरण		स्वीकृत सुविधाओं की कुल राशि (रू0)
1.	10 वर्षों हेतु इकाई को देय/स्वीकृत सुविधाओं की अर्हता (100 प्रतिशत स्थायी पूंजी निवेश के बराबर)		524,71,00,000
2.	सुविधाओं हेतु अनुमन्यता तिथि		1.4.2016
3.	सुविधाओं हेतु पात्र अवधि		10 वर्ष (1.4.2016 से 31.3.2026)
4.	01.04.2016 से 31.12.2021 की अवधि तक वित्तीय सुविधाओं का अनुमोदन/वितरण (छूट के रूप में प्राप्त सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए)		476,82,58,605*
5.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि (1-4)		47,88,41,395
6.	वितरण हेतु वर्तमान प्रस्ताव (छूट के रूप में प्राप्त सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए)		42,69,10,245
	नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति-1.1.2022 से 30.6.2022 की अवधि हेतु	41,73,84,324	-
	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट - 01.04.2021 से 31.03.2022	95,25,921	-
7.	प्रस्तावित सुविधाओं के वितरण के पश्चात स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि(5-6)		5,19,31,150
8.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष अवधि		3 वर्ष 9 माह
9.	स्वीकृत सुविधाओं के अन्तर्गत पूंजी ब्याज उपादान के वितरण हेतु शेष अवधि		शून्य

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013 टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में 01.04.2020 से 31.12.2021 की अवधि हेतु कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि रू0 11,33,67,890.00 होल्ड की गयी है।

प्रस्तावः कम्पनी का 1.1.2022 से 30.6.2022 की अवधि के लिए सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम निम्नवत है-

(राशि रू. में)

क्र0सं0	**सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण**	**2021-22**	**2022-23 (1.4.2022 से 30.6.2022)**
1.	नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति	59,05,21,441	20,67,09,231
2.	पूॅजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति	-	-
3.	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट	95,25,921	-
4.	**कुल (1+2+3)**	**60,00,47,362**	**20,67,09,231**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5.	उत्पादित माल पर जमा की गयी सत्यापित कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि	73,81,51,801@	25,83,86,539@
6.	**वितरण योग्य अर्ह राशि**	**60,00,47,362**	**20,67,09,231**
7.	**घटाया- इकाई को पूर्व में वितरित सुविधा की राशि**	-	-
	- नेट एस.जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति - 1.4.2021 से 31.12.2021	37,98,46,348	-
		22,02,01,014	**20,67,09,231**
	घटाया- इकाई को छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि		
	- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट - 1.4.2021 से 31.3.2022	95,25,921	-
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि**	**21,06,75,093**	**20,67,09,231**
9.	**वितरण हेतु कुल राशि (1.1.2022 से 30.6.2022)**		**41,73,84,324'**

@ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013 टी.सी. (मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

(3) **<u>मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लि0, गोरखपुर (पूर्वांचल)</u>**

मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लि**0** को जिला गोरखपुर में इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट एवं पावर प्लांट के विस्तारीकरण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति **2012** की मेगा परियोजना के अन्तर्गत दिनांक **09.07.2015** (दिनांक **2.11.2016** एवं **22.03.2018** द्वारा संशोधित) को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया था। इकाई को **01.12.2017** से **31.12.2021** की अवधि तक विभिन्न अनुमन्य सुविधाओं हेतु राशि रू**0 90,67,60,194.00** का अनुमोदन/वितरण करने के पश्चात अब वर्तमान प्रस्ताव एवं भविष्य में कम्पनी के

प्रस्तावों हेतु स्वीकृत सुविधाओं की शेष राशि/अवधि निम्नवत है:-

क्र**0**सं**0**	विवरण	स्वीकृत सुविधाओं की कुल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		राशि (रू0)
1.	**15** वर्षों हेतु इकाई को देय/स्वीकृत सुविधाओं की अर्हता (**300** प्रतिशत स्थायी पूँजी निवेश के बराबर) (**218,69,00,000.00 X 3**)	656,07,00,000.00
2.	सुविधाओं हेतु अनुमन्यता तिथि	01.12.2017
3.	सुविधाओं हेतु पात्र अवधि **15** वर्ष	(01.12.2017 से 30.11.2032)
4.	**01.12.2017** से **31.12.2021** की अवधि तक वित्तीय सुविधाओं का वितरण/अनुमोदन	90,67,60,194.00*
5.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि (**1-4**)	565,39,39,806.00
6.	वितरण हेतु वर्तमान प्रस्ताव	24,21,64,973.00
7.	प्रस्तावित सुविधाओं के वितरण के पश्चात स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि (**5-6**)	541,17,74,833.00
8.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष अवधि	**9** वर्ष **5** माह
9.	स्वीकृत सुविधाओं के अन्तर्गत पूँजी ब्याज उपादान के वितरण हेतु शेष अवधि	शून्य

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 **1281/77-6-2021-5(**एम)**/2013** टी.सी. (मेगा)-**1** दिनांक **26.03.2021** के अनुपालन में **01.4.2020** से **31.12.2021** की अवधि हेतु कुल देय राशि में से **10** प्रतिशत धनराशि रू0 **3,76,59,494.00** होल्ड की गयी है।

प्रस्तावः कम्पनी का **1.1.2022** से **31.12.2022** एवं **1.1.2023** से **30.6.2023** की अवधि के लिए सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु समावेशित क्लेम निम्नवत है-

(राशि रू0 में)

क्र0सं0	**सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (1.4.2023 से 30.6.2023)**
1.	नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति	15,37,93,483	17,92,39,347	5,35,01,896
2.	पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति	-	-	-
3.	इलेक्टीसिटी ड्यूटी में छूट	-	-	-
4.	**कुल** (**1+2+3**)	**15,37,93,483**	**17,92,39,347**	**5,35,01,896**
5.	उत्पादित माल पर जमा की गयी सत्यापित कुल नेट एस.जी.एस.टी. की	19,22,41,854@	22,96,34,028@	6,68,77,370@

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	राशि			
6.	**वितरण योग्य अर्ह राशि**	**15,37,93,483**	**17,92,39,347**	**5,35,01,896**
7.	**घटाया- इकाई को पूर्व में वितरित सुविधा की राशि**	-	-	-
	- नेट एस.जी**0**एस**0**टी**0** की प्रतिपूर्ति 1.4.2021 से 31.12.2021	14,43,69,753	-	-
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि**	**94,23,730**	**17,92,39,347**	**5,35,01,896**
9.	**वितरण हेतु कुल राशि** (**1.1.2022** से **30.6.2023**)			**24,21,64,973***

@ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं**0** **1281/77-6-2021-5**(एम)/**2013** टी.सी.(मेगा)-**1** दिनांक **26.03.2021** के अनुपालन में कुल देय राशि में से **10** प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चो के रूप में **1** प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

(4) **<u>मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा0लि0, रायबरेली (मध्यांचल)</u>**

मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा**0**लि**0** को रायबरेली में सीमेंट उत्पादन इकाई की परियोजना के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 की मेगा परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 09.07.2015 को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया था। इकाई को 01.08.2014 से 30.9.2020 की अवधि तक विभिन्न अनुमन्य सुविधाओं हेतु राशि रू0 563,46,63,928.00 का वितरण करने के पश्चात अब वर्तमान प्रस्ताव एवं भविष्य में कम्पनी के प्रस्तावों हेतु स्वीकृत सुविधाओं की शेष राशि/अवधि निम्नवत है:-

क्र0**सं**0	**विवरण**	**स्वीकृत सुविधाओं की कुल राशि** (रू0)

http://shasanadesh.up.gov.in

1.	15 वर्षों हेतु इकाई को देय/स्वीकृत सुविधाओं की अर्हता (300 प्रतिशत स्थायी पूँजी निवेश के बराबर) (358,41,00,000.00 X 3)	1075,23,00,000.00
2.	सुविधाओं हेतु अनुमन्यता की तिथि	1.8.2014
3.	सुविधाओं हेतु पात्र अवधि	15 वर्ष (1.8.2014 से 31.7.2029)
4.	**01.08.2014** से **30.9.2020** की अवधि तक वित्तीय सुविधाओं का वितरण/अनुमोदन (छूट के रूप में प्राप्त सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए)	576,64,38,355.00*
5.	घटाया - अनुमन्यता से अधिक प्राप्त धनराशि दिनांक **10.2.2023** को जमा की गयी	13,17,74,427.00
6.	**01.08.2014** से **30.9.2020** की अवधि तक शुद्ध वित्तीय सुविधाओं का वितरण/अनुमोदन	563,46,63,928.00*
7.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि (1-6)	511,76,36,072.00
8.	वितरण हेतु वर्तमान प्रस्ताव (छूट के रूप में प्राप्त सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए)	129,71,68,016.00
9.	प्रस्तावित सुविधाओं के वितरण के पश्चात स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि(**7-8**)	382,04,68,056.00
10.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष अवधि	**7** वर्ष **10** माह

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 **1281/77-6-2021-5**(एम)/**2013** टी.सी. (मेगा)-**1** दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में 01.4.2020 से 30.9.2020 की अवधि हेतु कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि रू0 4,65,57,956.00 होल्ड की गयी है।

प्रस्तावः कम्पनी का 1.10.2020 से 30.9.2021 की अवधि के लिए सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम निम्नवत है-

(राशि रू**0** में)

क्र0सं0	**सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 (1.4.2021 से 30.9.2021 तक)**
1.	नेट एस.जी**0**एस**0**टी**0** प्रतिपूर्ति	110,25,35,785	64,38,21,106
2.	पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति	-	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	1,63,90,687	-
4.	**कुल** (1+2+3)	**111,89,26,472**	**64,38,21,106**
5.	उत्पादित माल पर जमा की गयी एस.जी.एस.टी. की राशि	137,81,69,730@	80,47,76,382@
6.	वितरण योग्य अर्ह राशि	111,89,26,472	64,38,21,106
7.	**घटाया- इकाई को पूर्व में वितरित सुविधा की राशि**	-	-
	- नेट एस.जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति - **1.4.2020** से **30.9.2020**	46,55,79,562	-
		65,33,46,910	**64,38,21,106**
	घटाया- इकाई को छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि		
	-इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट - **1.4.2020** से **31.3.2021**	1,63,90,687	-
8.	वितरण हेतु शुद्ध राशि	**63,69,56,223**	**64,38,21,106**
9.	**वितरण हेतु कुल राशि (1.10.2020 से 30.9.2021)**		**128,07,77,329***

@सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा किये गये एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं**0 1281/77-6-2021-5**(एम)/**2013** टी.सी. (मेगा)-**1** दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चो के रूप में 1 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

(5) **<u>मे0 सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0, नोएडा (पश्चिमांचल)</u>**

सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0 को नोएडा (पश्चिमांचल) में मोबाइल एवं रेफ्रिजरेटर इकाई के विस्तारीकरण हेतु रू0 4,915.00 करोड़ के निवेश के साथ 03 चरणों में परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 की सुपर मेगा परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 23.11.2017(संशोधित) को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया था।

इकाई द्वारा प्रथम चरण का उत्पादन 30 सितम्बर, 2013 को प्रारम्भ किया गया था एवं परियोजना हेतु आवश्यक निवेश (रू0 1000.00 करोड़) दिनांक 14.08.2018 को पूर्ण किया गया था। कम्पनी द्वारा द्वितीय चरण की परियोजना दिसम्बर, 2020 को पूर्ण की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

गई। इकाई द्वारा तृतीय चरण में प्रस्तावित रेफ्रिजरेटर के विस्तारीकरण की परियोजना ड्रॉप कर दी गई।

इकाई द्वारा कट आफ डेट (23.01.2013) से द्वितीय चरण के पूर्ण होने की तिथि (दिसम्बर, 2020) तक किया गया निवेश रू0 2738.51 करोड (केन्द्र सरकार से प्राप्त रू0 256.00 करोड एम-सिप्स के रूप में घटाने के पश्चात) सत्यापित किया गया है।

शासनादेश संख्या- 55/2023/3451/77-6-2023-05(एम)/13टीसी(मेगा-1) दिनांक 01-11-2023 एवं संशोधित शासनादेश संख्या- 22/2024/1406/77-6-2024-05(एम)/13टीसी(मेगा-1), दिनांक 21.06.2024 में वर्णित प्राविधान एवं संलग्न प्रारूप के अनुसार सैमसंग द्वारा 01.04.2020 से 30.09.2023 की अवधि हेतु वित्तीय प्रोत्साहन के क्लेम प्रस्तुत किए गए हैं। कम्पनी का जुलाई, 2018 से मार्च, 2020 की अवधि हेतु क्लेम NIL है।

कम्पनी का 01.04.2020 से 30.09.2023 की अवधि के लिए देय वित्तीय प्रोत्साहन का सत्यापित क्लेम धनराशि निम्नवत है-

1. सुविधाओं की अनुमन्यता की तिथि- 14.08.2018
2. सुविधाओं की अवधि- 15 वर्ष (14.08.2018 से 13.08.2033)

(राशि रू0 में)

सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (1.04.2023 से 30.09.2023)**
वित्तीय प्रोत्साहन	129,85,19,717	122,39,85,604	164,85,57,746	132,72,90,972
वितरण हेतु कुल राशि				**549,83,54,039***

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चो के रूप में 1 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

(6) <u>मेसर्स पसवारा पेपर्स लि0, मेरठ (पश्चिमांचल)</u>

मेसर्स पसवारा पेपर्स लि0 को मेरठ (पश्चिमांचल) में पेपर्स इकाई की स्थापना के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 की मेगा परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 08.07.2015 (दिनांक 26.05.2016 एवं 17.01.2017 द्वारा संशोधित) को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया था। इकाई को 01.10.2016 से 31.12.2021 की अवधि तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

विभिन्न सुविधाओं हेतु कुल राशि रू0 25,45,88,929.00 का अनुमोदन/वितरण करने के पश्चात अब वर्तमान प्रस्ताव एवं भविष्य में कम्पनी के प्रस्तावों हेतु स्वीकृत सुविधाओं की शेष राशि/अवधि निम्नवत है:-

क्र0 सं0	**विवरण**		**स्वीकृत सुविधाओं की कुल राशि (रू0)**
1.	10 वर्षों हेतु इकाई को देय/स्वीकृत सुविधाओं की अर्हता (100 प्रतिशत स्थायी पूंजी निवेश के बराबर)		210,01,57,634
2.	सुविधाओं हेतु अनुमन्यता तिथि		1.10.2016
3.	सुविधाओं हेतु पात्र अवधि		10 वर्ष (1.10.2016 से 30.09.2026)
4.	01.10.2016 से 31.12.2021 की अवधि तक वित्तीय सुविधाओं का अनुमोदन/वितरण		25,45,88,929*
5.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि (1-4)		184,55,68,705
6.	वितरण हेतु वर्तमान प्रस्ताव		13,15,25,510
	नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति-1.1.2022 से 30.9.2022 की अवधि हेतु	8,20,07,553	-
	नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति-1.10.2022 से 31.3.2023 की अवधि हेतु	4,95,17,957	-
7.	प्रस्तावित सुविधाओं के वितरण के पश्चात स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि(5-6)		171,40,43,195
8.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष अवधि		3 वर्ष 6 माह
9.	स्वीकृत सुविधाओं के अन्तर्गत पूंजी ब्याज उपादान के वितरण हेतु शेष अवधि		शून्य

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में 01.04.2020 से 31.12.2021 की अवधि हेतु कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि रू0 1,44,51,705.00 होल्ड की गयी है।

(राशि रू. में)

क्र0सं0	**सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण**	**2021-22**	**2022-23**
1.	नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपिूर्ति	8,62,75,068	9,79,72,989
2.	पॅूजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति	1,00,00,000	-
3.	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट	-	-
4.	**कुल (1+2+3)**	**9,62,75,068**	**9,79,72,989**
5.	उत्पादित माल पर जमा की गयी सत्यापित कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि	10,78,43,835@	12,24,66,237@

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6.	**वितरण योग्य अर्ह राशि**	**9,62,75,068**	**9,79,72,989**
7.	**घटाया- इकाई को पूर्व में वितरित सुविधा की राशि**		-
	- नेट एस.जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति - 1.4.2021 से 31.12.2021	6,27,22,547	-
		3,35,52,521	**9,79,72,989**
	घटाया- इकाई को छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि		
	- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	-	-
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि** 1.1.2022 से 31.3.2023		**13,15,25,510**

@ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चो के रूप में 1 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

(7) <u>मेसर्स स्पर्श इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, कानपुर देहात (मध्यांचल)</u>

मेसर्स स्पर्श इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 को जिला कानपुर देहात (मध्यांचल) में पूर्व स्थापित बी0ओ0पी0ई0टी0 फिल्म इकाई के विस्तारीकरण एवं विविधीकरण हेतु 02 चरणों में, यथा प्रथम चरण में पोलियेस्टर चिप्स, मैटेलाइजड फिल्म के उत्पादन तथा द्वितीय चरण में पोलियेस्टर फिल्म की क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 की मेगा परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 29.12.2016 को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया था। इकाई को 06.10.2016 से 30.06.2017 की अवधि तक विभिन्न अनुमन्य सुविधाओं हेतु राशि रू0 4,46,16,474.00 का अनुमोदन/वितरण (छूट के रूप में प्राप्त सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए) करने के पश्चात अब वर्तमान प्रस्ताव एवं भविष्य में कम्पनी के प्रस्तावों हेतु स्वीकृत सुविधाओं की शेष राशि/अवधि निम्नवत है:-

क्र0सं0	**विवरण**	**स्वीकृत सुविधाओं की कुल राशि (रूपये में)**
1.	15 वर्षो हेतु इकाई को देय/स्वीकृत सुविधाओं की अर्हता (300 प्रतिशत स्थायी पूॅजी निवेश के बराबर) (265,81,48,733.00 X 3)	797,44,46,319.00
2.	सुविधाओं हेतु अनुमन्यता तिथि	06.10.2016
3.	सुविधाओं हेतु पात्र अवधि	15 वर्ष (06.10.2016 से 05.10.2031)
4.	06.10.2016 से 30.06.2017 की अवधि तक वित्तीय सुविधाओं का वितरण/अनुमोदन (छूट के रूप में प्राप्त	4,46,16,474.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए)	
5.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि (1-4)	792,98,29,845.00
6.	वितरण हेतु वर्तमान प्रस्ताव (छूट के रूप में प्राप्त सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए)	17,53,72,328.00
7.	प्रस्तावित सुविधाओं के वितरण के पश्चात स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि (5-6)	775,44,57,517.00
8.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष अवधि	10 वर्ष 6 माह 5 दिन

शासनादेश संख्या 2052/77-6-16-5(एम)/13 टी.सी. दिनांक 2.11.2016 के प्रस्तर 1.1 के अनुसार कम्पनी को देय नेट एस.जी.एस.टी. की धनराशि का आगणन/वितरण निवेश रेशियो के आधार पर किया जा रहा है।

कम्पनी का 1.07.2017 से 31.03.2021 की अवधि के लिए सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु समावेशित क्लेम निम्नवत है-

(राशि रू0 में)

क्र0सं0	**सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1.	नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति	273,59,188	3,06,10,126	3,53,68,476	5,74,70,515
2.	पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
3.	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	1,84,55,692	1,87,84,089	2,00,17,477	2,13,38,648
4.	**कुल** (1+2+3)	**4,58,14,880**	**4,93,94,215**	**5,53,85,953**	**7,88,09,163**
5.	उत्पादित माल पर जमा की गयी सत्यापित कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि	3,41,98,985@	3,82,62,657@	4,42,10,595@	7,18,38,145@
6.	**वितरण योग्य अर्ह राशि**	3,41,98,985	3,82,62,657	4,42,10,595	7,18,38,145
7.	घटाया- इकाई को पूर्व में वितरित सुविधा की राशि	-	-	-	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	-नेट एस.जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति 1.4.2017 से 30.06.2017	1,31,38,054	-	-	-
		2,10,60,931	**3,82,62,657**	**4,42,10,595**	**7,18,38,145**
	घटाया- छूट के रूप में प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी	1,84,55,692	1,87,84,089	2,00,17,477	2,13,38,648
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि**	**26,05,239**	**1,94,78,568**	**2,41,93,118**	**5,04,99,497**
9.	**वितरण हेतु कुल राशि (1.7.2017 से 31.3.2021)**				**9,67,76,422***

@ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा।

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-**1** दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चो के रूप में **1** प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

(8) <u>मे0 एल0जी0 इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0लि0, ग्रेटर नोएडा (पश्चिमांचल)</u>

मेसर्स एल0जी0 इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0लि0 को ग्रेटर नोएडा (पश्चिमांचल) में रेफ्रिजरेटर, एयर कन्डिश्नर, वाशिंग मशीन, कम्प्रेशर, मोटर्स, माइक्रो वेव ओवन एवं वाटर प्यूरिफायर इकाई के विस्तारीकरण/विविधीकरण हेतु रू0 674.00 करोड के निवेश के साथ परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 की मेगा परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 11.10.2018 (संशोधित) को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया था।

इकाई द्वारा एक उत्पाद (माइक्रो वेव ओवन) का उत्पादन दिनांक 16.03.2015 को प्रारम्भ किया गया था एवं शेष उत्पादों का उत्पादन दिनांक 31.12.2019 को प्रारम्भ कर परियोजना पूर्ण की गई थी।

इकाई द्वारा कट आफ डेट (01.01.2015) से परियोजना पूर्ण होने की तिथि (31 दिसम्बर, 2019) तक किया गया निवेश रू0 567.00 करोड़ (केन्द्र सरकार से प्राप्त रू0 23.35 करोड एम-सिप्स के रूप में घटाने के पश्चात) सत्यापित किया गया है।

शासनादेश संख्या- 55/2023/3451/77-6-2023-05(एम)/13टीसी(मेगा-1) दिनांक 01-11-2023 एवं संशोधित शासनादेश संख्या- 22/2024/1406/77-6-2024-05(एम)/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13टीसी(मेगा-1), दिनांक 21.06.2024 में वर्णित प्राविधान एवं संलग्न प्रारूप के अनुसार मेसर्स एल0जी0 द्वारा 01.01.2020 से 31.03.2021 की अवधि हेतु वित्तीय प्रोत्साहन के क्लेम प्रस्तुत किए गए हैं।

कम्पनी का 01.01.2020 से 31.03.2021 की अवधि के लिए देय वित्तीय प्रोत्साहन का सत्यापित क्लेम निम्नवत है-

1. सुविधाओं की अनुमन्यता की तिथि - 01.01.2020
2. सुविधाओं की अवधि - 10 वर्ष (01.01.2020 से 31.12.2029)

(राशि रू0 में)

सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण	**2019-20 (1.01.2020 से 31.03.2020)**	**2020-21**
वित्तीय प्रोत्साहन	3,50,80,596	8,34,27,558
वितरण हेतु कुल राशि		**11,85,08,154***

@शासनादेश दिनांक 01.11.2023 (संशोधित दिनांक 21.06.2024) एवं शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार आगणित वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि का 80 प्रतिशत।

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

2- उपर्युक्त प्रस्तर में अंकित कुल 8 औद्योगिक इकाईयों द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें निम्नवत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

1. प्रश्नगत औद्योगिक इकाईयों को जिन सुविधाओं/रियायतो हेतु धनराशि का वितरण किया जाना है वह अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य सीमा के भीतर, पात्र पूंजी निवेश के वास्तविक सत्यापन के अधीन एवं तत्संबंधी शर्तों के अनुसार अनुमन्य होंगी।
2. सुसंगत शासनादेशों/अधिनियम/विनियम/दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
3. शासनादेश संख्या-1281/77-6-2021-5(एम)/13टीसी (मेगा-1), दिनांक 26.03.2021 में वर्णित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. शासनादेश संख्या- 55/2023/3451/77-6-2023-05(एम)/13टीसी(मेगा-1) दिनांक 01-11-2023 एवं संशोधित शासनादेश संख्या- 22/2024/1406/77-6-2024-05(एम)/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13टीसी(मेगा-1), दिनांक 21.06.2024 में वर्णित प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. औद्योगिक इकाईयों के वित्तीय प्रोत्साहन के दावे की वितरित की जाने वाली धनराशि के आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी।
6. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अंतर्गत मेगा परियोजनाओं की स्थापना हेतु इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार सुविधायें/रियायतें दी जायेगी।

3- अत: कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में आवश्यक वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमाणित विवरण सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-31/2024/1829(1)/77-6-24-5(एम)/13टीसी(मेगा-1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शसन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
4. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in